

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 107]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 मई 2005 – ज्येष्ठ 10, शक 1927

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
जी. ई. रोड, सिविल लाईन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2005

क्रमांक 6/सी एस ई आर सी/रेग्युलेशन-6/2004, विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का क्रमांक 36) की धारा 181 (2) (यछ, य) के साथ पठित धारा 62 (2) और 64 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञापिधारियों के टैरिफ के अवधारण के लिए दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति संबंधी निम्नलिखित विनियम बनाता है।

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति) विनियम, 2004 (वर्ष 2004 का क्रमांक 6) कहलाएंगे।
2. ये विनियम छत्तीसगढ़ सरकार के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होंगे।
3. ये विनियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं

4. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) (इसके बाद 'केन्द्रीय अधिनियम' संदर्भित होगा), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004 (इसके बाद 'कार्य संचालन विनियम' संदर्भित होगा) में यथा परिभाषित है।
5. इस विनियम में अनुज्ञप्तिधारी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 'समझे गये अनुज्ञप्तिधारी' सम्मिलित हैं।

टैरिफ अवधारण के लिए आवेदन

6. प्रत्येक उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी प्रतिवर्ष 30नवम्बर तक आयोग को लागू विविध प्रभारों सहित प्रभार तथा अनुमोदित टैरिफ के अधीन तथा बनाई गई धारणाओं की विस्तृत व्याख्याओं के साथ विविध प्रभारों सहित प्रभारों तथा टैरिफ से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आशायित राजस्व को समाविष्ट करते हुए टैरिफ आवेदन प्रस्तुत करेगा। यदि आयोग द्वारा ऐसा करने को कहा जाय तो व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी टैरिफ अवधारण हेतु आवेदन देगा।
7. उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रपत्रों में जानकारी दी जायेगी –
 - (क) उत्पादन कम्पनी के लिए प्रपत्र जो परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये हैं।
 - (ख) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए प्रपत्र जो परिशिष्ट-2 में दर्शाये गये हैं।
 - (ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए प्रपत्र जो परिशिष्ट-3 में दर्शाये गये हैं।

(घ) व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी के लिए प्रपत्र जो परिशिष्ट-4 में दर्शाये गये हैं।

8. उत्पादन कम्पनी व अनुज्ञप्तिधारी, उपरोक्त खण्ड 7 में वर्णित आरूपों के साथ आयोग द्वारा पूर्व टैरिफ आदेश में दिये गये दिशा-निर्देशों के पालन पर विवरण प्रस्तुत करेंगे।
9. टैरिफ निर्धारण हेतु आवेदन के साथ उपरोक्त खण्ड-7 में निर्धारित प्रपत्रों में पूर्व वर्ष, चालू वर्ष व आगामी वर्ष के लिए जानकारी संलग्न की जायेगी। पूर्व वर्ष की जानकारी परीक्षित लेखों पर आधारित होनी चाहिए एवं परीक्षित लेखों की अनुपस्थिति में, पूर्व वर्ष से पिछले वर्ष के परीक्षित लेखों को पूर्व वर्ष के अपरीक्षित लेखों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।
10. प्रत्येक नवीन अनुज्ञप्तिधारी लायसेंस की स्वीकृति मिलने पर खण्ड 7 में दर्शाये गये प्रपत्रों सहित आयोग के समक्ष टैरिफ आवेदन तत्काल प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक नवीन उत्पादन कम्पनी वाणिज्यिक संचालन के प्रारम्भ होने से कम से कम तीन माह पूर्व आयोग के समक्ष टैरिफ आवेदन देगा।
11. सम्यक रूप से भरे गये आरूप और व्याख्याओं के साथ प्रस्तुत किया गया टैरिफ अवधारण का आवेदन, याचिका के रूप में माना जावेगा और इसे कार्य संचालन विनियमों में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा।
12. टैरिफ की अवधारणा अथवा पूर्व में निर्धारित टैरिफ को ही निरंतर लागू रखने हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ पूर्व वर्ष के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम, 2004 (वर्ष 2004 का क्रमांक 5) के अनुसार टैरिफ आवेदन शुल्क संलग्न किया जायेगा।
13. समस्त फाइल किए गए आवेदन, अनुज्ञप्ति विनियमों में निर्धारित अनुबंधों और अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप होने चाहिए। आवेदन की प्रतियां समस्त उत्पादन कम्पनियों, अनुज्ञप्तिधारियों और राज्य सरकार को अलग-अलग भेजी जाएंगी।
14. पारिषण और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रत्येक वोल्टेज स्तर की तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों का विस्तृत विवरण सम्मिलित किया जायेगा। वोल्टेज स्तर के अनुसार हानियों को उस वोल्टेज पर ली गई ऊर्जा के तदनुसार वितरित किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हानियों (नुकसान) को कम करने की योजना के साथ उसे योजनानुसार कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित पूंजी निवेश का विवरण उपलब्ध कराना होगा। ऐसी समस्त योजनाएं आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से वर्षवार तथा इन योजनाओं को निष्पादित करने के लिए अपेक्षित निधि के स्रोतों को दर्शाते हुए कम से कम चार पश्चात्वर्ती वर्ष को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत की जाना अपेक्षित है।

15. यदि विविध प्रभारों सहित तत्समय में लागू टैरिफ तथा प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपेक्षित राजस्व की बीच राजस्व अंतर होता है तो उत्पादन कम्पनी तथा अनुज्ञप्तिधारी इस राजस्व अंतर को बराबर करने हेतु प्रस्ताव/योजना प्रस्तुत करेगा।
16. लिखित प्रतियों (हार्ड कॉपीज) में जानकारी के अतिरिक्त यह ऐसे इलेक्ट्रानिक प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी, जैसा कि आयोग आवश्यक समझे।
17. उपरोक्त खण्ड 7 में निर्दिष्ट विवरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रत्येक पृथक् कारोबार के लिए तथा उत्पादन कम्पनी के प्रत्येक पृथक् कारोबार के लिए अलग-अलग दिया जाएगा। केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उन अनुज्ञप्त से भिन्न किसी कारोबार या सेवाओं को करने वाले अनुज्ञप्तिधारी की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी पृथक् राजस्व विवरण, व्यय विवरण, तुलन-पत्र तथा नकदी प्रवाह विवरण के साथ ऐसे ब्यौरे, जैसा कि आयोग ऐसे कारोबार या सेवा के संबंध में अपेक्षा करे, देगा।
18. आयोग आवेदन पर स्पष्टीकरण तथा अतिरिक्त जानकारी की मांग कर सकेगा और उत्पादन कम्पनी तथा अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा नियत किये गये दिनांक के भीतर स्पष्टीकरण तथा अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करेगा।
19. उत्पादन कंपनियों तथा अनुज्ञप्तिधारी उनके उन अधिकारियों के ब्यौरा आयोग को सूचित करेंगे जो समस्त वांछित जानकारी तथा आवश्यक स्पष्टीकरण, यदि कोई हो तो, देंगे एवं उसे देने के लिए आयोग से पत्र व्यवहार करेंगे।
20. टैरिफ आवेदन/जानकारी के उपरोक्तानुसार प्रस्तुत न किये जाने/विलम्ब से दिये जाने पर केन्द्रीय अधिनियम के प्रासंगिक उपबंधों के अनुसार, आयोग, शास्ति/जुर्माना आरोपित कर सकेगा।

टैरिफ आवेदन का प्रकाशन

21. आयोग को स्पष्टीकरण दे देने के पश्चात उत्पादन कम्पनी तथा अनुज्ञप्तिधारी, आयोग से यथा अनुमोदित प्रस्तावों का संक्षिप्त सार, आवेदन की मुख्य बातें जो विभिन्न स्टेक होल्डर के हित में हो, हिन्दी तथा अंग्रेजी में अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादन कम्पनी के प्रदाय क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित करायेगा।
22. उत्पादन कम्पनी तथा अनुज्ञप्तिधारी खण्ड 7 के अनुसार उत्पादन कम्पनियों, अनुज्ञप्तिधारियों को लागू संबंधित आरूप में 'सार या एस', 'वित्तीय या एफ', 'निष्पादन या पी' तथा 'टैरिफ या टी' श्रेणी प्रारूपों के आधार पर हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में,

आवेदन तथा विवरण को मुद्रित कराने की भी व्यवस्था करेगा। आवेदन के मुद्रित दस्तावेज में 'एस' एवं 'टी' श्रेणी (सीरीज) के प्रारूप खण्ड 1 तथा 'एफ' एवं 'पी' श्रेणी के प्रारूप खण्ड 2 के रूप में होंगे। दोनों खण्डों का मूल्य अलग-अलग होगा।

23. टैरिफ आवेदन के दोनों खण्ड (वाल्यूम) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय में और पारेषण तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के ऐसे कार्यालयों में उपलब्ध रहेंगे, जैसा कि आयोग द्वारा निदेशित किया जाए। उपभोक्ताओं को डाक द्वारा दस्तावेजों को प्राप्त करने की सुविधा भी दी जायेगी, यदि समुचित मूल्य के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ आवेदन किया गया हो। सभी हितग्राहियों के सुलभ दर्शन हेतु यह दस्तावेज अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा जहां से उसकी प्रतिलिपि ली जा सके।
24. टैरिफ से सीधे प्रभावित होने वाले पक्षकार से भिन्न पक्षकारों से याचिका का स्वीकार किया जाना आयोग के विवेकाधिकार पर होगा।

आवेदन पर सुनवाई

25. जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाए, आयोग, अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये गये राजस्व गणनाओं और टैरिफ प्रस्तावों पर कार्यवाहियां जारी रखेगा तथा ऐसे टैरिफ प्रस्तावों पर निर्णय करने से पहले, ऐसे व्यक्तियों की सुनवाई कर सकेगा, जैसा कि आयोग उचित समझे।
26. उपरोक्त खण्ड 21 के अनुसार उत्पादन कम्पनी व अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावों का सारांश प्रकाशित करने का निर्देश देते हुए उनके टैरिफ आवेदन पर सुनवाई के लिए प्रक्रिया ऐसी रीति में होगी, जैसी कि आयोग विनिर्दिष्ट करे।

आयोग का आदेश

27. आवेदन की प्राप्ति की दिनांक से एक सौ बीस दिन के अंदर तथा जनता से प्राप्त समस्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात, आयोग –
 - (क) ऐसे उपान्तरणों या ऐसी शर्तों के साथ, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, आवेदन स्वीकार करते हुए एक आदेश जारी करेगा, या
 - (ख) यदि ऐसा आवेदन केन्द्रीय अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार न हो तो लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए आवेदन अस्वीकृत करेगा।परन्तु यह कि आवेदक को उसके आवेदन को अस्वीकृत करने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

28. आयोग, केन्द्रीय अधिनियम कार्य संचालन विनियम तथा कोई अन्य विद्यमान नीतियों या विनियमों के उपबंधों तथा उद्देश्यों के अनुसार, टैरिफ का अवधारण करेगा।
29. आयोग, आदेश करने की दिनांक से सात दिन के अंदर राज्य सरकार, संबंधित उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी को आदेश की एक प्रति भेजेगा।

टैरिफ आदेश का प्रकाशन तथा उसका लागू होना

30. टैरिफ अवधारण के सभी आदेशों में यह लिखा होगा कि वे किस अवधि तक प्रवृत्त रहेंगे एवं इस प्रकार का लेख न होने की दशा में, वह आदेश अगले टैरिफ की अवधारणा तक प्रभावशील रहेगा।

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी द्वारा टैरिफ आदेश में दर्शायी गई समयावधि के बाद प्रचलित टैरिफ को प्रावधिक तौर पर लागू रखने के लिए कोई आवेदन दिया जाता है और यदि प्रचलित टैरिफ को लागू रखने के कारण आयोग उचित पाता है तो प्रचलित टैरिफ को लागू रखने की प्रावधिक रूप में सहमति दे सकता है।

31. उत्पादन कम्पनी तथा अनुज्ञप्तिधारी अपने प्रदाय क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में, विद्युत प्रदाय के टैरिफ की अनुसूची हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित करेगा तथा इसे मांग पर जनता को उपलब्ध कराएगा। ऐसे प्रकाशन की दिनांक से सात दिनों के पश्चात ही ऐसा टैरिफ प्रभावी होगा तथा बिल तदनुसार जारी किए जाएंगे।
32. यदि कोई उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ या प्रभार से अधिक मूल्य वसूल करता है तो वह व्यक्ति जिसने ऐसा अधिक मूल्य या प्रभार दिया है, किसी अन्य निकलने वाली देनदारी के दायित्वाधीन, उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी से, बैंक रेट पर ब्याज सहित ऐसी अधिक जमा की गई रकम को पाने का हकदार होगा। आयोग द्वारा अनुमोदित से भिन्न किसी टैरिफ का क्रियान्वयन आयोग के आदेशों तथा निर्देशों की अवहेलना माना जाएगा।

टैरिफ आदेश का पुनर्विलोकन

33. टैरिफ के पुनर्विलोकन के लिए समस्त आवेदन, विहित फीस के साथ याचिका के रूप में दिये जायेंगे। टैरिफ के पुनर्विलोकन के लिए याचिका निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयोग द्वारा ग्राह्य की जा सकेगी –

(क) पुनर्विलोकन याचिका टैरिफ आदेश के दिनांक से साठ दिवसों के अंदर प्रस्तुत की जाती है, तथा

(ख) अभिलेखों को देखते हुए कोई स्पष्ट त्रुटि है।

34. इस पर संतुष्ट होने पर कि किसी उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी के टैरिफ का पुनर्विलोकन करना आवश्यक है, आयोग स्वयं की ओर से उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी के टैरिफ के पुनर्विलोकन की प्रक्रिया आरम्भ कर सकेगा।

किसी लिपिकीय त्रुटि या अभिलेखों को देखते हुए कोई स्पष्ट त्रुटि को सुधारने हेतु, आयोग स्वप्रेरणा से भी किसी टैरिफ आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा।

टैरिफ में संशोधन

35. उपरोक्तानुसार अवधारित तथा अधिसूचित टैरिफ किसी वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक बार संशोधित नहीं किया जाएगा, सिवाए इसके कि परिवर्तनीय लागत समयोजन सूत्र सहित टैरिफ आदेश में दर्शाये किसी समायोजन सूत्र या आयोग के किसी अन्य आदेश के अनुसार टैरिफ दरों का समायोजन किया जाये।

परन्तु यह कि केन्द्रीय अधिनियम की समुचित धाराओं के निबंधन के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सरकारी सहायकी (सबसिडी) के परिणामस्वरूप आयोग द्वारा दिये गये आदेश, अधिसूचित टैरिफ का संशोधन नहीं समझा जायेगा।

जानकारी का उपयोग

36. आयोग को यह अधिकार होगा कि उत्पादन कम्पनियों, अनुज्ञप्तिधारी, उनकी उत्तरवर्ती इकाईयां तथा अन्य विद्युत उपयोगिता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का उपयोग करे। जानकारी को उनकी वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का निर्देश भी आयोग दे सकेगा।

बहु-वर्षीय टैरिफ के सिद्धान्त और दिशा-निर्देश

37. आयोग, विविध प्रभारों सहित, प्रभारों और टैरिफ से आशयित राजस्व, निर्धारित संचालन दक्षता स्तर हेतु अनुज्ञेय कीमत, टैरिफ और प्रभारों का पुनरीक्षण, टैरिफ संरचना में परिवर्तन और ऐसे अन्य मामले, जिन्हें आवश्यक समझे जाएं, सुनिश्चित करते हुए टैरिफ अवधारण से संबंधित सभी मामलों में, बहु-वर्षीय टैरिफ सिद्धान्त लागू कर सकेगा।

38. आयोग, समय-समय पर बहु-वर्षीय टैरिफ हेतु राजस्व की गणना के विवरणों को भरने और टैरिफ आवेदनों हेतु दिशा-निर्देश जारी करेगा और जब तक आयोग द्वारा छूट न दी जाए, अनुज्ञप्तिधारी ऐसे दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

संशोधन करने की शक्ति

39. आयोग, इन विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों को किसी भी समय जोड़ सकेगा, फेरबदल कर सकेगा, उलट, उपांतरित, या संशोधित कर सकेगा।

विविध

40. इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात आयोग को किसी भी आदेश को पारित करने हेतु प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी, जो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो।
41. इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी उल्लेख केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप किसी प्रक्रिया को आपनाने से आयोग को बाधित नहीं करेगा जो इन विनियमों के किसी उपबंध में फेरबदल करती है और विशेष परिस्थिति की दृष्टि से या लिखित में अभिलिखित किए गये कारणों में किसी ऐसे मामले या मामले के वर्ग के संव्यवहार के लिए यदि आयोग आवश्यक या समीचीन समझता हो।
42. इन विनियमों में अंतर्विष्ट कोई भी उल्लेख स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी विषय से संबंधित या किसी शक्ति का प्रयोग करने से, जिसके लिए कोई विनियम निर्मित नहीं किए गए हैं, बाधित नहीं करेगा तथा आयोग ऐसे विषय, शक्ति तथा कृत्य का ऐसी रीति से, जैसा वह उचित समझये कार्रवाई करेगा।
- टीप- इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण जो (मूल संस्करण) है का तात्पर्य सही माना जावेगा और इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

(अजय श्रीवास्तव)
उप सचिव

Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission
G.E.Road, Civil lines, Raipur (Chhattisgarh)
Phone No. 771-5073555 Fax No. 771-5073553

Raipur the 31st May 2005

No.6 /CSERC/Regulations-6/2005- In exercise of the powers conferred by Section 181 (2) (ze, zg) read with Section 62 (2) and 64 (1) of the Electricity Act, 2003, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission makes the following regulations for furnishing details and manner for making application for determination of tariff for generating companies and licensees.

REGULATIONS

Short title and commencement

1. These regulations shall be called the *Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Details to be furnished by licensee or generating company for determination of tariff and manner of making application) Regulations, 2004* (No. 6 of 2004)
2. These regulations shall come into force from the date of their publication in the official Gazette of the Government of Chhattisgarh.
3. These regulations extend to the entire State of Chhattisgarh.

Definition

4. Unless the context otherwise requires, the words and expressions in these regulations, shall bear the same meaning as defined in the Electricity Act, 2003 (herein after referred to as the Act) the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2004(herein after referred to as Conduct of Business Regulation).
5. "Licensee" in these regulations includes deemed licensees in the State of Chhattisgarh.

Application for determination of Tariff

6. Every year, by November 30th, every generating company and licensee shall file with the Commission, a tariff application with statements containing the expected revenues from the tariff and charges including miscellaneous charges in the ensuing financial year, under its currently approved tariff and charges including miscellaneous charges, along with detailed explanations for assumptions made. The trading licensee shall file the application for determination of tariff if required to do so by the Commission.

7. The generating companies and licensees along with their applications shall file information in the following formats:
 - (a) Formats for Generating Company as provided in Annexure 1
 - (b) Formats for Transmission licensee as provided in Annexure 2
 - (c) Formats for Distribution licensee as provided in Annexure 3
 - (d) Formats for Trading licensee as provided in Annexure 4
8. The Generating Companies and licensees shall submit a statement on compliance of directives issued by the Commission in its last tariff order along with formats as stated in clause 7 above.
9. An application for determination of tariff shall be accompanied by information in the formats as specified in clause 7 above for the previous year, current year and the ensuing year. The information for the previous year should be based on audited accounts and in case audited accounts are not available, audited accounts for the year immediately preceding the previous year should be filed along with un-audited accounts for the previous year.
10. Every new licensee shall file an application with the Commission, immediately on grant of license, a tariff application along with details as stated in clause 7. Every new generating company shall file an application with the Commission, at least three months ahead of commencement of commercial operations.
11. The application for tariff along with the duly filled up formats and explanations will be treated as a petition and shall be filed as per the procedure laid down in Conduct of Business Regulations.
12. Every application for determination of tariff or for continuation of previously determined tariff shall be accompanied with a tariff application fee based on the previous year's actuals as specified in the CSERC (Fees and Charges) Regulations, 2004 (5 of 2004).
13. All filings should be in conformity with the stipulations in the licensing regulations and the conditions of the license. Separate copies of the filing shall be sent to all generating companies, licensees and State Government.
14. The transmission and distribution licensees shall include a detailed statement of voltage-wise technical and commercial losses. The voltage-wise losses shall be distributed according to the energy drawn at that voltage level. The licensees must provide plans for reducing the losses, together with the details of the investment required to achieve the planned reductions. All such plans are required to be submitted year wise, commencing with the ensuing financial year and covering at least the four subsequent years indicating the sources of fund required to execute these plans.

15. If there is a revenue gap between the expected revenues from the currently applicable tariff and charges including miscellaneous charges and the revenue requirement for the ensuing financial year, the generating company and licensee shall include a proposal/plan as to how it proposes to bridge this revenue gap.
16. In addition to the hard copies, the information shall necessarily be submitted in such electronic form, as the Commission may require.
17. The statement referred to in clause 7 above shall be given separately for each of the separate businesses of the licensee and for each of the separate businesses of the generating company. In case the licensee carries on any business or services other than those licensed under the Act, licensee shall give separate revenue statements, expenditure statements, balance sheet and cash-flow statement together with such details as the Commission may require in respect of such businesses or services.
18. The Commission may seek clarification and additional information on the application, and the generating company and licensee shall provide the clarifications and additional information within the date stipulated by the Commission.
19. The generating companies and licensees shall intimate the particulars of their officers who would provided the desired information and communicate with the Commission for clarification etc., if any.
20. Any delay/non-submission of the tariff application/information as above may attract penalty/fines as per the relevant provisions of the Act.

Publication of tariff application

21. After the Commission is provided with the clarifications, the generating company and licensee shall publish the summary of the proposals, as approved by the Commission for publication, highlighting salient features of the application that are of interest to various stakeholders, in at least two local newspapers, both in English and Hindi, having wide circulation in its area of operation.
22. The generating company and the licensee shall also arrange to print the application and the statements in both Hindi and English prepared on the basis of 'Summary or S', Financial or F', 'Performance or P' and 'Tariff or T' series forms in the respective formats applicable to generating companies and licensees as provided in Clause 7. The application, 'S' and 'T' series forms shall form volume 1 and the 'F' and 'P' series form should form the Volume 2 of the printed document. Both the volumes should be separately priced.

23. Both the volumes of the tariff application should be available for sale at the Commission's office and in such offices of the generating companies and licensees as may be directed by the Commission. The consumers should also be provided the facility of procuring of the document(s) by post if their request is accompanied by a demand draft of the appropriate denomination. The document should be posted at the licensee's website in downloadable format for easy accessibility by all stakeholders.
24. Admission of petitions from the parties other than those directly affected by the tariff shall be at the discretion of the Commission.

Hearing on the application

25. Unless otherwise directed by the Commission, the Commission shall hold proceedings on the revenue calculations and tariff proposals given by the generating company and the licensee and may hear such persons as the Commission may consider appropriate before deciding upon such tariff proposals.
26. The procedure for hearing on the tariff application of the generating company and the licensee shall be in the manner as the Commission may specify while directing the applicant licensee to publish the summary of the proposals as mentioned in clause 21 above.

Order of the Commission

27. Within one hundred twenty days of the date of receipt of the application and after considering all suggestions and objections received from the public, the Commission shall :
 - (a) issue an order accepting the application with such modifications or such conditions as may be specified in that order; or
 - (b) reject the application for reasons to be recorded in writing if such application is not in accordance with the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder or the provisions of any other law for the time being in force.

Provided that an applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard before rejection his application.
28. Commission shall determine tariff in accordance with the provisions and objectives of the Act, the Conduct of Business Regulations and any other prevalent policies or regulations, as the case may be.
29. The Commission shall within seven days of making the order send a copy of the order to the State Government, concerned generating company and the licensee.

Publication of Tariff Order and its applicability

30. All orders determining tariff shall indicate the period for which it shall be in force and in the absence of such mention, the order shall be considered valid till next determination is done.

Provided that, on an application filed by the licensee or generating company for continuation of the tariff on a provisional basis beyond the period stipulated in the order, the Commission may agree on provisional basis, the continuation of the tariff if it concludes that the grounds for continuation are justified.

31. The generating company and the licensee shall publish in at least two daily newspapers, one each in Hindi and English, having wide circulation in the area of supply and make available to the public, on request, the tariff schedule for the supply of electricity. Such tariff shall take effect only after seven days from the date of such publication and bills shall be issued accordingly.
32. If any generating company or a licensee recovers a price or charge exceeding the tariff determined by the Commission, the excess amount shall be recoverable by the person who has paid such price or charge along with interest equivalent to the bank rate without prejudice to any other liability incurred, from the generating company or licensee. The implementation of any tariff other than that approved by the Commission shall be treated as non-compliance of the Commission's orders and directions.

Review of Tariff Order

33. All applications for the review of tariff shall be in the form of petition accompanied by the prescribed fee. A petition for review of tariff can be admitted by the Commission under the following conditions:
- (a) the review petition is filed within sixty days from the date of the tariff order, and
 - (b) there is an error apparent on the face of the record.
34. On being satisfied that there is a need to review the tariff of any generating company or the licensee, the Commission may on its own initiate the process of review of the tariff of any generating company or the licensee. The Commission may also, in its own motion review any tariff order to correct any clerical error or any error apparent on the face of the record.

Amendment in Tariff

35. The tariff determined and notified as above may not be amended more frequently than once in any financial year except that tariff rates shall be adjusted in accordance with any adjustment formulae, including variable cost adjustment formula, incorporated in the tariff order or in any other of the Commission.

Provided that the consequential orders, which the Commission may issue to give effect to the subsidy by the State Government may provide in terms of the appropriate sections of the Act shall not be construed as amendment of tariff notified.

Use of the information

36. The Commission shall have the right to use the information submitted by the generating companies, the licensees, their successor entities and other electricity utilities as it deems fit including publishing it or placing it on the Commission's website. The Commission may also direct them to display the information on the their website.

Multi-year tariff principles and guidelines

37. The Commission may adopt multi-year tariff principles for all matters relating to tariff determination including expected revenue from tariff and charges including miscellaneous charges, allowable cost for prescribed operational efficiency levels, the revision in tariff and charges, changes in tariff structure and such other matters as may be considered necessary.
38. The Commission may, from time to time, issue guidelines for filing statement of revenue calculations and tariff applications for multi-year and unless waived by the Commission, the licensee shall follow such guidelines.

Power to Amend

39. The Commission may, at any time, add, vary, alter, modify or amend any of the provisions of these regulations.

Miscellaneous

40. Nothing in these regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission.
41. Nothing in these regulations shall prevent the Commission from adopting, in conformity with the provisions of the Act, a procedure which is at variance with any of the provisions of these regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters, and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.
42. Nothing in these regulations shall, expressly or impliedly, prevent the Commission from dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in the manner it thinks fit.

Note: In case of any difference in the interpretation or understanding of the provisions of the Hindi version of these Regulations with those of the English version (which is the original version), the latter will prevail and in case of any dispute in this regard, the decision of the Commission shall be final and binding.

By Order of the Commission

**(Ajay Srivastava)
Dy. Secretary**